

The Integrated Goods & Services Tax Rules, 2017

**<sup>1</sup>[Rule 9 : The proportion of value attributable to different States or Union territories, under sub-section (7) of section 13 of the said Act in relation to cultural, artistic, etc.**

The proportion of value attributable to different States or Union territories, under sub section (7) of section 13 of the said Act, in the case of supply of services by way of admission to, or organisation of a cultural, artistic, sporting, scientific, educational or entertainment event, or a celebration, conference, fair, exhibition or similar events, and of services ancillary to such admission or organisation, where the location of the supplier of services or the location of the recipient of services is outside India, and where such services are provided in more than one State or Union territory , in the absence of any contract or agreement between the supplier of service and recipient of services for separately collecting or determining the value of the services in each such State or Union territory, as the case maybe, shall be determined by applying the provisions of rule 5, *mutatis mutandis*.]

---

---

<sup>1</sup> Rule 9 inserted by Noti. No. 04/2018–Integrated Tax, dt. 31-12-2018 w.e.f. 01-01-2019.

**1[नियम 9 : धारा 13(7) के अधीन, सांस्कृतिक, कलात्मक, खेल, वैज्ञानिक, शैक्षणिक या मनोरंजन आदि सेवाओं के प्रदाय के मामले में**

उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) के अधीन, सांस्कृतिक, कलात्मक, खेल, वैज्ञानिक, शैक्षणिक या मनोरंजन, कार्यक्रम में प्रवेश या समारोह, सम्मेलन, मेला, प्रदर्शनी या वैसे ही कार्यक्रमों में प्रवेश या उनके आयोजन के माध्यम से सेवाओं की और ऐसे प्रवेश या आयोजन की समनुषंगी सेवाओं के प्रदाय के मामले में, जहां सेवाओं के प्रदायकर्ता की अवस्थिति या सेवाओं के प्राप्तिकर्ता की अवस्थिति भारत से बाहर है और जहां ऐसी सेवाएं यथास्थिति, प्रत्येक ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में सेवाओं का मूल्य पृथक रूप से संग्रहीत करने या अवधारण करने के लिए सेवाओं के प्रदायकर्ता या सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के बीच किसी संविदा करार के अभाव में, भिन्न-भिन्न राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों को प्रदाय योग्य मूल्य का अनुपात आवश्यक परिवर्तनों सहित, नियम 5 के उपबंधों को लागू करके अवधारित किया जाएगा ]]

---

1 नियम 9 अधिसूचना क्रमांक 4/2018—एकीकृत कर, दिनांक 31.12.2018 एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018, द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.01.2019)। राजपत्र में शीर्षक नहीं दिये गये हैं। शीर्षक लेखक द्वारा दिये गये हैं।